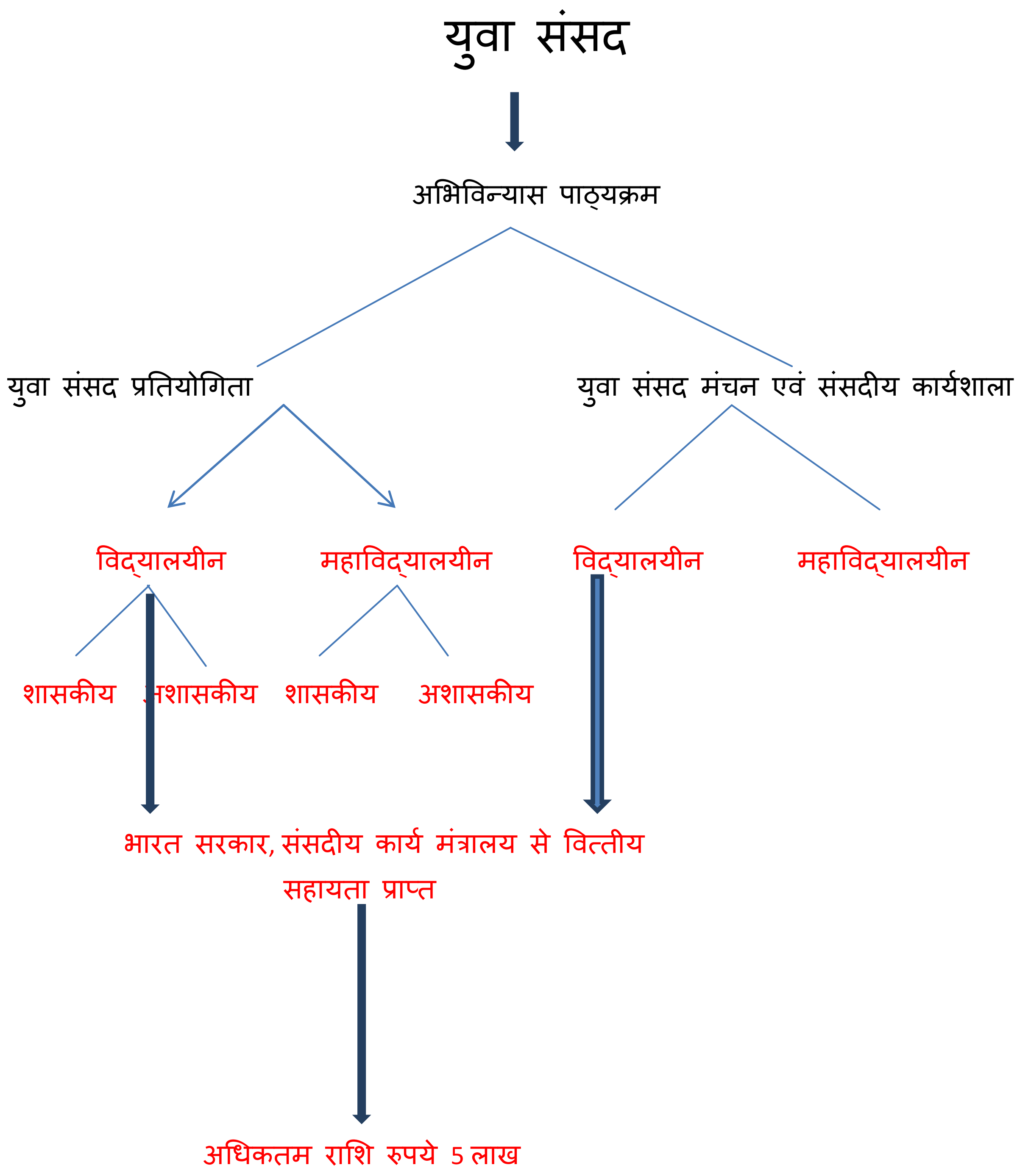
युवा संसद
अभिविन्यास पाठ्यक्रम
युवा संसद प्रतियोगिता
युवा संसद मंचन एवं संसदीय कार्यशाला
विद्यालयीन
महाविद्यालयीन
विद्यालयीन
महाविद्यालयीन
शासकीय
अशासकीय
शासकीय
अशासकीय
भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त
अधिकतम राशि रुपये 5 लाख

युवा संसद

विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ 'संसदीय पद्धति तथा प्रक्रिया' की जानकारी देना है। युवाओं को संसदीय लोकतांत्रिक परम्परा के आधारभूत मूल्यों व प्रक्रियाओं से परिचय कराने में युवा संसद प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आने वाले समय में आज के विद्यार्थी लोकतंत्र का पोषण करने व उसे सशक्त बनाने में सार्थक योगदान दे सकें, इस हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक महाविद्यालय/विद्यालय में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये।

1. **अभिविन्यास पाठ्यक्रम -**

युवा संसद मंचन से पूर्व मंचन में सहायतार्थ प्रभारियों हेतु विद्यापीठ द्वारा अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा युवा संसद मंचन के क्रमवार चरण एवं संबंधित व्यवहारिक जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाती है।

2. **युवा संसद प्रतियोगिता एवं युवा संसद मंचन -**

उपर्युक्त संदर्भ में इस विद्यापीठ द्वारा वर्ष **2006-07** से भोपाल के शिक्षण संस्थानों में युवा संसद प्रतियोगिता तथा मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में युवा संसद मंचन एवं संसदीय कार्यशाला कराई जा रही है।

2.1 **युवा संसद प्रतियोगिता -**

भोपाल के शिक्षण संस्थाओं हेतु प्रस्तावित युवा संसद प्रतियोगिता को निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया जाता है -

(1) शासकीय विद्यालयों में,
(2) शासकीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में,
(3) अशासकीय विद्यालयों में,
(4) अशासकीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में।

प्रतियोगिता हेतु प्रत्येक वर्ग में चार शिक्षण संस्थानों का होना अनिवार्य है।

2. युवा संसद मंचन में विद्यार्थी लोक सभा अथवा विधान सभा की कार्यवाही का मंचन कर व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करते हैं।

3. युवा संसद प्रतियोगिता की नियम-शर्तों अनुसार शिक्षण संस्थान की संलग्न प्रारूप में लिखित सहमति (प्रभारी के नाम/मोबाइल क्रमांक आदि के साथ) प्राप्त होने पर प्रत्येक शिक्षण संस्थान को रुपये **10,000/-** का आवंटन किए जाने का प्रावधान है।

4. शैक्षणिक संस्था से अनुरोध प्राप्त होने पर अनुमोदन उपरांत राशि, पृष्ठाधार सामग्री तथा उदाहरणस्वरूप मंचन सी.डी. प्रेषित की जाती है।

5. मंचन वित्तीय वर्ष **20**........ में कराना अनिवार्य है। कार्यक्रम समाप्ति पर युवा संसद मंचन पर हुए व्यय का मदवार विवरण (मूल देयक, फोटो, स्क्रिप्ट की प्रति तथा समाचार-पत्र कटिंग आदि सहित) विद्यापीठ को **15** दिवस में भेजना अनिवार्य है। कार्यक्रम न कराने की दशा में आवंटित राशि **31** मार्च, **20**..... के पूर्व अनिवार्य रूप से वापिस की जाए।

6. युवा संसद मंचन में सहायतार्थ प्रभारियों हेतु विद्यापीठ द्वारा अभिविन्यास पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवा संसद मंचन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। अभिविन्यास पाठ्यक्रम की तिथि से यथासमय अवगत कराया जाएगा।

<u>युवा संसद प्रतियोगिता</u>

<u>नियम-शर्तें</u>

संसदीय विद्यापीठ के तत्वावधान में भोपाल के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता के अधीन विद्यार्थी लोक सभा या विधान सभा की कार्यवाही का मंचन निर्णायकों के समक्ष हिन्दी, अंग्रेजी अथवा मिश्रित भाषा में करेंगे।

2. उपर्युक्त कार्यक्रम हेतु अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता/अध्यापक को युवा संसद प्रभारी नियुक्त किया जाएगा जो मंचन की स्क्रिप्ट तैयार कर रिहर्सल कराएगा।

3. कार्यक्रम का उद्घाटन परम्परागत तरीके से एवं यथासंभव माननीय वर्तमान/भूतपूर्व जन-प्रतिनिधियों से निर्णायक मंडल के समक्ष कराते हुए उनका संबोधन कराया जाना चाहिए।

4- प्रतियोगिता की नियम-शर्तें निम्नानुसार हैं-

1	मंचन हेतु राशि	कुलपति/प्राचार्य से मंचन की संभावित तिथि तथा प्रभारी के नाम, पद एवं मोबाइल की जानकारी (प्रपत्र संलग्न) प्राप्त होने पर अनुमोदनानुसार उन्हें मंचन कराने हेतु रुपये **10,000/-** का चेक (मंचन सी.डी. एवं साहित्य सहित) भेजा जाएगा। अशासकीय शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र भेजना अनिवार्य है।
2	विद्यार्थियों की संख्या तथा पात्र	लोक सभा/विधान सभा की कार्यवाही के मंचन हेतु इच्छुक अधिकतम **30** विद्यार्थियों (अध्यक्ष, राष्ट्रपति/राज्यपाल, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, पक्ष के **12** सदस्य, विपक्ष के **10** सदस्य तथा महा-सचिव/प्रमुख सचिव, प्रतिवेदक-**2** एवं मार्शल) का चयन किया जाए। विद्यालयों में कक्षा नवीं से बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थी ही भाग ले सकेंगे।
3	कार्यक्रम कक्ष	***कार्यक्रम कक्ष में निम्न प्रारूप अनुसार बैनर लगाया जाए -*** ***"पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल*** ***युवा संसद प्रतियोगिता*** ***शिक्षण संस्था का नाम'***

<table>
<tr><td>4</td><td>बैठक व्यवस्था</td><td>बैठक की व्यवस्था यू शेप में होगी। अध्यक्ष का मुख्य आसन होगा। अध्यक्ष की दायीं ओर पक्ष (प्रथम आसन पर प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री तत्पश्चात् मंत्री, राज्यमंत्री तथा सदस्य) तथा अध्यक्ष के पीछे मार्शल, बायीं ओर विपक्ष (प्रथम आसन पर नेता-प्रतिपक्ष तत्पश्चात् सदस्य) वेशभूषा में तथा दोनों पक्षों के बीच में महा-सचिव/प्रमुख सचिव एवं प्रतिवेदक बैठेंगे। मेजों पर पद-पट्टी रखी जाएं।
अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति/राज्यपाल की बायीं ओर अध्यक्ष बैठेंगे।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>निर्णायक मंडल</td><td><table>
<tr><td colspan="2">मंचन कराने की तिथि एवं समय की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित निर्णायक मंडल को भेजा जाएगा</td></tr>
<tr><td><u>विश्वविद्‌यालयीन एवं महाविद्‌यालयीन</u></td><td><u>विद्‌यालयीन</u></td></tr>
<tr><td>संसदीय कार्य विभाग का अधिकारी</td><td>संसदीय कार्य विभाग का अधिकारी</td></tr>
<tr><td>विधान सभा का अधिकारी</td><td>विधान सभा का अधिकारी</td></tr>
<tr><td>उच्च शिक्षा संचालनालय का अधिकारी</td><td>लोक शिक्षण संचालनालय का अधिकारी</td></tr>
<tr><td colspan="2">किसी निर्णायक की अनुपस्थिति या मंचनकर्ता संस्थान का अधिकारी निर्णायक मंडल में होने पर इस विद्‌यापीठ का अधिकारी निर्णायक होगा।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>मंचन के विषय एवं क्रम</td><td>शपथ/प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति/राज्यपाल का अभिभाषण,मंत्रियों का परिचय, निधन उल्लेख, प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न, शून्यकाल की सूचना, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, विधेयकों पर राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति की सूचना, ध्यानाकर्षण सूचना, अनुपस्थिति की अनुज्ञा, सभापति तालिका की घोषणा, समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, याचिकाओं का उपस्थापन, विधेयक आदि।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>मंचन</td><td>चयनित विद्‌यार्थी निर्णायक मंडल के समक्ष अधिकतम एक घंटे तक उक्त क्रम के अनुसार कतिपय चयनित विषयों पर मंचन करेंगे, जिसमें 20 मिनिट का प्रश्नकाल करना अनिवार्य है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>अंक</td><td><table>
<tr><td>1</td><td>अनुशासन एवं शिष्टाचार</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2</td><td>संसदीय प्रणाली का पालन</td><td>20</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रश्नों, अनुपूरक प्रश्नों हेतु विषय चयन और उनके उत्तर</td><td>20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>वाद-विवाद के लिए विषय का चयन एवं स्तर</td><td>30</td></tr>
<tr><td>5</td><td>भाषण देने का ढंग या गुणवत्ता</td><td>10</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कुल मिलाकर अभिनय का सामान्य निर्धारण</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>100</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

9	प्रचार प्रसार	शासन की योजना की जानकारी सर्व-साधारण को हो सके, अतः प्रिन्ट/ इलेक्ट्रानिक मीडिया को मंचन की प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए।	
10	**कार्यक्रम विवरण**	कार्यक्रम उपरांत 15 दिवस में निम्नांकित विवरण विद्यापीठ को भेजना अनिवार्य है-	
		1	समाचार-पत्र कटिंग, सी.डी. एवं फोटो
		2	कार्यक्रम का प्रतिवेदन।
		3	कार्यक्रमों के फीड-बेक (सुझाव)।
		4	स्वागत, टेंट सामग्री, साउंड सिस्टम, स्टेशनरी, बैनर, फोटो, स्वल्पाहार एवं ड्रेस किराए के मूल देयक कुलपति/प्राचार्य के सत्यापन पश्चात्। राशि लेकर मंचन न कराने पर पूर्ण राशि या कम व्यय होने पर शेष राशि 31 मार्च, के पूर्व वापस करना अनिवार्य है। अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
11	पुरस्कार	शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के लिए पृथक्-पृथक् पुरस्कार हैं -	
		प्रथम	रनिंग शील्ड एक वर्ष हेतु, ट्रॉफी एवं रुपये 15,000/-. लगातार तीन वर्षों तक विजेता रहने पर शील्ड संस्थान की हो जाएगी।
		द्वितीय	ट्राफी एवं रुपये 10,000/-,
		तृतीय	ट्राफी एवं रुपये 5,000/-, इनके अलावा -
		उक्त संस्थानों के विजयी समस्त प्रतिभागियों हेतु मेडल, प्रमाण-पत्र एवं चयनित एक-एक प्रतिभागी हेतु लोक सभा कार्यवाही/भवन का अवलोकन।	
		1	शेष सभी शिक्षण संस्थानों के प्रतिभागियों हेतु प्रमाण-पत्र।
		2	दो संस्थानों के अंक समान होने पर अतिरिक्त पुरस्कार।
		3	किसी वर्ग में मंचनकर्ता संस्थानों की संख्या चार से कम होने पर उसके प्रतिभागियों को शेष वर्गों में सम्मिलित किया जा सकता है।
		4	सभी प्रतिभागी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को अधिकतम 5-5 विशेष दक्षता पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र दिये जाएंगे। विजेता संस्थानों के विशेष दक्षता हेतु चयनित 5 में से प्रथम प्रतिभागी को लोक सभा कार्यवाही/ भवन का अवलोकन कराया जाएगा। उसके इंकार करने पर नीचे क्रम पर अंकित प्रतिभागियों में से क्रमानुसार एक को अवसर दिया जाएगा।
		5	पुरस्कार राशि का चेक कुलपति/प्राचार्य के नाम से दिया जाएगा। इस राशि का उपयोग, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की फीस/ गणवेश/कॉपी-किताब या शैक्षणिक भ्रमण या खेल सामग्री क्रय या मंचनकर्ता विद्यार्थियों में वितरण कर किया जा सकता है।
12	पुरस्कार वितरण	संसदीय विद्यापीठ द्वारा मई-जून में परिणाम घोषित कर जुलाई-अगस्त में वार्षिक समारोह में पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरण किए जाएंगे।	

नोट	
1	लोक सभा अथवा विधान सभा की कार्यवाही का मंचन किया जाए।
2	मंचन में शासकीय योजनाएं/कार्यक्रम, सम-सामयिक महत्व के विषय कल्याणकारी गतिविधि, देश की सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं सुधार, आर्थिक विकास, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषय सम्मिलित किए जा सकते हैं।
3	मंचन अगस्त से मार्च तक में कराया जा सकता है, किन्तु फरवरी तक कराना सुविधाजनक होगा।
4	इस विद्यापीठ द्वारा मंचन में सहायतार्थ निम्नांकित कार्यक्रम निःशुल्क आयोजन किए जाते हैं - (1) मंचन प्रभारियों हेतु एक दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम (Orientation Course)। तिथि की सूचना पृथक् से दी जाएगी। (2) 40 विद्यार्थियों (दो प्राध्यापक/अध्यापक सहित) हेतु एक/दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। सुविधा और अनुमति अनुसार विधान सभा की कार्यवाही/भवन का भी अवलोकन कराया जाएगा।
5	इस विद्यापीठ द्वारा मध्य प्रदेश में विद्यालय स्तर पर संचालित युवा संसद भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। युवा संसद हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विद्यालयों को सीधे भी राशि दी जाती है, अतः किसी भी संस्थान द्वारा एक ही जगह से राशि ली जा सकती है।
6	बेहतर परिणाम के लिए उक्त नियम-शर्तों का कड़ाई से पालन आवश्यक है।
7	कोई विवाद उद्भूत होने पर विद्यापीठ का विनिश्चय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

संचालक
संसदीय विद्यापीठ

शिक्षण संस्थान का नाम

क्रमांक......... | *दिनांक.........*

प्रति,

संचालक,
पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ,
भूतल, विंध्याचल भवन,
भोपाल ***462 004***
फोन - ***0755 - 2576140, 2576141, 2571300***

विषय-युवा संसद प्रतियोगिता हेतु सहमति।

संसदीय विद्यापीठ के तत्वावधान में हमारा शिक्षण संस्थान युवा संसद प्रतियोगिता कराने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता है। प्रतियोगिता हेतु वांछित जानकारी निम्नानुसार है -

युवा संसद मंचन			
1	मंचन की संभावित तिथि		
2	शिक्षण संस्थान का दूरभाष क्रमांक एवं पता		
3	शिक्षण संस्थान का ई-मेल		
4	प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या (संभव हो तो नाम, कक्षा सहित)		
5	मंचन हेतु प्रभारी का:-		
	1	नाम	
	2	पदनाम	
	3	मोबाइल क्रमांक	
	4	ई-मेल	
6	चेक किस नाम से बनाया जाना है?		
7	अशासकीय शिक्षण संस्थान हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है		

2- कृपया कार्यक्रम कराने की सहमति प्रदान करते हुए राशि आवंटित करने का कष्ट करें।

कुलपति/प्राचार्य के हस्ताक्षर
सील सहित

3- युवा संसद प्रतियोगिता के चयनित प्रतिभागियों को संसद की कार्यवाही/भवन का अवलोकन

युवा संसद प्रतियोगिता में वर्ष 2008-09 से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से सर्वसम्मति से चुने गए एक-एक प्रतिभागी को संसद की कार्यवाही/भवन का अवलोकन कराया जाता है। अब तक के विद्यार्थियों का विवरण निम्नांकित है -

क्र.	वर्ष	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	विद्यालय	कुल
1	2009-10	-	05	07	12
2	2010-11	-	02	03	05
3	2011-12	-	01	03	04
4	2012-13	-	02	05	07
5	2013-14	-	03	05	08
6	2014-15	-	02	05	07
7	2015-16	-	03	03	06
8	2016-17	-	04	04	08
9	2017-18		06	05	11

4. युवा संसद हेतु वित्तीय सहायता

भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसदीय विद्यापीठ को विद्यालयीन युवा संसद पर हुए व्यय के संदर्भ में वर्षवार निम्नानुसार राशि की प्रतिपूर्ति की गई -

क्र.	वर्ष	वित्तीय सहायता हेतु प्रावधित राशि	आवेदित राशि	स्वीकृत/प्राप्त
1	2006-07	2,00,000/-	1,81,826/-	1,71,862/
2	2007-08	2,00,000/-	2,75,684/-	2,00,000/
3	2008-09	2,00,000/-	4,34,731/-	2,00,000/
4	2009-10	5,00,000/-	4,65,947/-	4,65,947/
5	2010-11	5,00,000/-	2,38,394/-	2,38,394/
6	2011-12	5,00,000/-	2,32,147/-	2,32,147/
7	2012-13	5,00,000/-	2,23,004/-	2,23,004/
8	2013-14	5,00,000/-	2,21,809/-	2,21,809/
9	2014-15	5,00,000/-	2,80,442/-	2,80,442/
10	2015-16	5,00,000/-	5,04,987/-	5,00,000/
11	2016-17	5,00,000/-	5,33,527/-	5,00,000/
12	2017-18	5,00,000/-	5,74,419/-	प्रक्रियाधीन

युवा संसद मंचन एवं संसदीय कार्यशाला -

विद्यापीठ द्वारा मध्य प्रदेश (भोपाल को छोड़कर) के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विद्यालयों में वर्ष *2006-07* से संसदीय कार्यशाला तथा युवा संसद मंचन कराया जा रहा है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थी तथा विद्यालयों के कक्षा नवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थी भाग लेते हैं।

2. विद्यार्थी कार्यशाला के माध्यम से सैद्धांतिक जानकारी तथा युवा संसद मंचन (लोक सभा अथवा विधान सभा की कार्यवाही का मंचन) के माध्यम से व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करते हैं।

3. कार्यशाला एवं युवा संसद मंचन की नियम-शर्तों अनुसार शिक्षण संस्थान की संलग्न प्रारूप में लिखित सहमति (प्रभारी के नाम/मोबाइल क्रमांक आदि के साथ) प्राप्त होने पर संसदीय विद्यापीठ द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान को संसदीय कार्यशाला हेतु रुपये *5,000/-* एवं युवा संसद मंचन हेतु रुपये *10,000/-* का आवंटन किये जाने का प्रावधान है।

4. शैक्षणिक संस्था से अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर विद्यापीठ के अनुमोदन उपरांत कार्यक्रमवार राशि, पृष्ठाधार सामग्री तथा उदाहरणस्वरूप मंचन सी.डी. प्रेषित की जाएगी।

5. उपर्युक्त कार्यक्रम वित्तीय वर्ष में कराना अनिवार्य है। कार्यक्रम समाप्ति पर कार्यशाला एवं युवा संसद मंचन पर हुए व्यय का मदवार पृथक-पृथक विवरण (मूल देयक, फोटो तथा स्क्रिप्ट की प्रति आदि सहित) विद्यापीठ को *15* दिवस में भेजना अनिवार्य है। कार्यक्रम न कराने की दशा में आवंटित राशि *31* मार्च के पूर्व अनिवार्य रूप से वापिस की जाए।

संसदीय कार्यशाला तथा युवा संसद मंचन -

नियम-शर्तें

संसदीय विद्यापीठ के तत्वावधान में मध्य प्रदेश (भोपाल को छोड़कर) के शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विद्यालयों) में संसदीय कार्यशाला तथा युवा संसद मंचन के कार्यक्रम संबंधित शैक्षणिक संस्थान में एक दिवस अथवा दो दिवस में हिन्दी, अंग्रेजी अथवा मिश्रित भाषा में कराए जा सकेंगे।

2. कार्यक्रम विद्यापीठ द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही होना चाहिए।

3. कुलपति/प्राचार्य से मंचन की संभावित तिथि तथा प्रभारी के नाम, पद एवं मोबाइल की जानकारी (प्रपत्र संलग्न) प्राप्त होने पर उन्हें संसदीय कार्यशाला हेतु रुपये *5,000/-* एवं युवा संसद मंचन हेतु रुपये *10,000/-* का चेक, मंचन सी.डी. एवं साहित्य सहित, भेजा जाएगा।

अशासकीय शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र भेजना अनिवार्य है।

4. कार्यक्रम कक्ष में निम्न प्रारूप अनुसार बैनर लगाया जाए -

"पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल
संसदीय कार्यशाला/युवा संसद मंचन
शिक्षण संस्थान का नाम"

5- कार्यक्रम की अध्यक्षता/उद्घाटन यथासंभव जन-प्रतिनिधियों से कराया जाना चाहिए।

संसदीय कार्यशाला (Parliamentary Workshop)		
1	प्रतिभागी	*न्यूनतम 50 विद्यार्थी प्रतिभागियों हेतु अधिकतम ढाई घंटे तक कार्यशाला कराई जाए। शिक्षण संस्थान द्वारा प्रतिभागियों को साहित्य एवं पैड-पेन का फोल्डर दिया जाएगा।*
2	व्याख्यान	*वर्तमान/भूतपूर्व जन-प्रतिनिधि एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा भारत का संविधान, विधान मंडल का गठन, संरचना, अवधि, सत्र, विधान सभा प्रश्न, शून्यकाल, स्थगन, ध्यानाकर्षण, अल्पकालीन चर्चाएं, बजट, विधि निर्माण आदि पर व्याख्यान दिए जाएं।*
3	मानदेय	*शिक्षण संस्थान द्वारा प्रति व्याख्यान हेतु जन-प्रतिनिधि को रुपये 1000/-एवं विषय विशेषज्ञ को रुपये 800/- मानदेय का भुगतान किया जाए। संबंधित शिक्षण संस्थान के विषय विशेषज्ञ को मानदेय की पात्रता नहीं है।*
4	प्रमाण-पत्र	***जन-प्रतिनिधि, कुलपति/प्राचार्य आदि से समस्त प्रतिभागी विद्यार्थियों को निम्न प्रारूपानुसार प्रमाण-पत्र वितरण कराकर कार्यशाला का समापन किया जाए -*** ***शिक्षण संस्थान का नाम*** ***मोनो (वैकेल्पिक)*** ***संसदीय कार्यशाला*** **प्रमाण-पत्र** *श्री/कुमारी ....* *पुत्र/पुत्री .... कक्षा ....* *ने पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल के तत्वावधान में इस संस्था द्वारा दिनांक .... को संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।* *हस्ता.* *हस्ता.* *प्रभारी प्राध्यापक/अध्यापक* *कुलपति/प्राचार्य*

युवा संसद मंचन (Youth Parliament Play)		
1	विद्यार्थी संख्या तथा पात्र	लोक सभा/विधान सभा कार्यवाही के मंचन हेतु इच्छुक अधिकतम *30* विद्यार्थियों (अध्यक्ष, राष्ट्रपति/राज्यपाल, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, पक्ष के *12* सदस्य, विपक्ष के *10* सदस्य तथा महा-सचिव/प्रमुख सचिव, प्रतिवेदक-*2* एवं मार्शल) का चयन किया जाए।
2	बैठक व्यवस्था	बैठक की व्यवस्था यू शेप में होगी। अध्यक्ष का मुख्य आसन होगा। अध्यक्ष की दायीं ओर पक्ष (प्रथम आसन पर प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री तत्पश्चात् मंत्री, राज्यमंत्री तथा सदस्य) तथा अध्यक्ष के पीछे मार्शल, बायीं ओर विपक्ष (प्रथम आसन पर नेता-प्रतिपक्ष तत्पश्चात् सदस्य) वेशभूषा में तथा दोनों पक्षों के बीच में महा-सचिव/प्रमुख सचिव एवं प्रतिवेदक बैठेंगे। मेजों पर पद-पट्टी रखी जाएं। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति/राज्यपाल की बायीं ओर अध्यक्ष बैठेंगे।
3	निर्णायक मंडल	जन-प्रतिनिधि, कुलपति/प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी/अन्य प्राध्यापक/ अध्यापक में से तीन निर्णायक होंगे, जिनको मंचन पूर्व प्रतिभागियों के नाम, कक्षा एवं भूमिका तथा मंचन विषयों की सूचियां दी जाएं।
4	मंचन के विषय एवं क्रम	शपथ/प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति/राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय, निधन उल्लेख, प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न, शून्यकाल की सूचना, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, विधेयकों पर राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति की सूचना, ध्यानाकर्षण सूचना, अनुपस्थिति की अनुज्ञा, सभापति तालिका की घोषणा, समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, याचिकाओं का उपस्थापन, विधेयक आदि।
5	मंचन	चयनित विद्यार्थी निर्णायक मंडल के समक्ष अधिकतम एक घंटे तक उक्त क्रम के अनुसार कतिपय चयनित विषयों पर मंचन करेंगे, जिसमें *20* मिनिट का प्रश्नकाल करना अनिवार्य है।
6	पुरस्कार	निर्णायक पांच विद्यार्थियों का विशेष दक्षता हेतु चयन करेंगे। मुख्य अतिथि/निर्णायकों से चयनित विद्यार्थियों को पुरस्कार तथा समस्त प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरण कराकर मंचन का समापन किया जाए।

7	प्रमाण पत्र	जन-प्रतिनिधि, कुलपति/प्राचार्य आदि से समस्त प्रतिभागी विद्यार्थियों को निम्न प्रारूपानुसार प्रमाण-पत्र वितरण कराकर समापन किया जाए - शिक्षण संस्थान का नाम मोनो (वैकेल्पिक) युवा संसद मंचन प्रमाण-पत्र श्री/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... कक्षा .... ने पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल के तत्वावधान में इस संस्था द्वारा दिनांक .... को आयोजित युवा संसद मंचन में भाग लिया। हस्ता. हस्ता. प्रभारी प्राध्यापक/अध्यापक कुलपति/प्राचार्य
8	प्रचार-प्रसार	शासन की योजनाओं की जानकारी सर्व-साधारण को देने के उद्देश्य से प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया को कार्यक्रमों के पूर्व एवं पश्चात् प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
9	व्यय	मितव्ययता एवं सुविधा की दृष्टि से कार्यशाला एवं युवा संसद मंचन एक दिन में कराना उपयुक्त होगा ताकि बैनर, स्टेशनरी और स्वल्पाहार आदि पर संयुक्त व्यय हो सके।
10	कार्यक्रम विवरण।	*कार्यक्रम उपरांत 15 दिवस में निम्नांकित विवरण विद्यापीठ को भेजना अनिवार्य है -*
		1 समाचार-पत्र कटिंग, सी.डी. एवं फोटो
		2 कार्यक्रम का कार्यवाही विवरण।
		3 कार्यक्रमों के फीड-बेक (सुझाव)।
		4 स्वागत, टेंट सामग्री, स्टेशनरी, बैनर, सी.डी., फोटो, स्वल्पाहार, पुरस्कार, मानदेय एवं प्रमाण-पत्रों पर व्यय के मूल देयक कुलपति/प्राचार्य के सत्यापन पश्चात्। अन्य मद में व्यय स्वीकार नहीं होगा।

नोट	
1	उपर्युक्त दोनों कार्यक्रम वित्तीय वर्ष में आयोजित (31 मार्च के पूर्व) कराना अनिवार्य है।
2	निर्धारित तिथि तक कार्यक्रम न कराने पर राशि अथवा आवंटित राशि से मंचन में कम व्यय करने पर शेष राशि पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ के नाम से चेक अथवा डी.डी. द्वारा वापस करना अनिवार्य है। आवंटित राशि से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
3	युवा संसद मंचन में शासकीय योजनाओं/कार्यक्रम, सम-सामयिक महत्व, कल्याणकारी गतिविधि, देश की सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं सुधार, आर्थिक विकास, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषय सम्मिलित किए जा सकते हैं।
4	चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में की गई सिफारिश के संदर्भ में भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय, वर्ष 1966-67 से देश के विद्यालयों एवं केन्द्रीय विद्यालयों में युवा संसद करा रहा है। इस हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। उपर्युक्त योजना के अधीन इस विद्यापीठ द्वारा युवा संसद कराया जा रहा है, अतः भारत सरकार अथवा इस विद्यापीठ में से किसी एक से राशि प्राप्त की जाए।
5	कार्यशाला एवं युवा संसद मंचन में से एक कार्यक्रम हेतु भी अनुरोध किया जा सकता है।
6	युवा संसद मंचन में सहायतार्थ प्रभारियों हेतु विद्यापीठ द्वारा अभिविन्यास पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवा संसद मंचन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। अभिविन्यास पाठ्यक्रम (Orientation Course) की तिथि से यथासमय अवगत कराया जाएगा।
7	उपर्युक्त नियम-शर्तों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
8	कोई विवाद उद्भूत होने पर इस विद्यापीठ का विनिश्चय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

संचालक
संसदीय विद्यापीठ

शिक्षण संस्थान का नाम

क्रमांक......... *दिनांक.........*

प्रति,

संचालक,
पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ,
भूतल, विंध्याचल भवन, बी विंग, भोपाल, **462 004**
दूरभाष क्रमांक **0755-2576140, 2576141, 2571330**
ई-मेल - pkldrsv@gmail.com & pkldrsv_bpl@hotmail.com

विषय-संसदीय कार्यशाला एवं युवा संसद मंचन हेतु अनुरोध।

संसदीय विद्यापीठ के तत्वावधान में हमारा शिक्षण संस्थान निम्न विवरण अनुसार कार्यक्रम कराने हेतु अपनी सहमति देता है -

संसदीय कार्यशाला			
1	कार्यशाला की संभावित तिथि		
2	शिक्षण संस्थान का दूरभाष क्रमांक		
3	शिक्षण संस्थान का ई-मेल		
4	प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या		
5	*कार्यशाला हेतु प्रभारी का:-*		
	1	*नाम*	
	2	*पदनाम*	
	3	*मोबाइल क्रमांक*	
6	*अशासकीय शिक्षण संस्थान हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है*		
युवा संसद मंचन			
1	मंचन की संभावित तिथि		
2	शिक्षण संस्थान का दूरभाष क्रमांक		
3	शिक्षण संस्थान का ई-मेल		
4	प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या		
5	मंचन हेतु प्रभारी का:-		
	1	*नाम*	
	2	*पदनाम*	
	3	*मोबाइल क्रमांक*	
6	*चेक किस नाम से बनाया जाना है?*		
7	*अशासकीय शिक्षण संस्थान हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।*		

2- कृपया कार्यक्रम कराने की सहमति प्रदान करते हुए राशि आवंटित करने का कष्ट करें।

कुलपति/प्राचार्य के हस्ताक्षर
सील सहित